न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 72/21 वाद

श्री भगवानलाल पिता भेरा जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर

बनाम वादी

1. श्री रोडीलाल उर्फ रोडा पिता हागा जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हाबल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्री धन्ना पिता कालू जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हाबल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. श्री वरदा पिता चौखा जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हाबल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 04.09.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम फीला पटवार हल्का फीला तहसील गिर्वा के खाता संख्या 454 की आराजी संख्या 3221/3039 रकबा 1.5000 हैक्टेयर वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की स्थित है। वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है। वादी अपनी भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है। वादी की उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु 5 फीट ऊंची कोट बनी हुई है। प्रतिवादी संख्या एक से तीन जानबुझकर पिछले कुछ समय से वादी को नाजायज परेशान कर रहे है, जबकि वादी की भूमि से उनका कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सहयोगियों के साथ दिनांक 12.04.2021 को वादी अनुपस्थिति में वादी की भूमि की पक्की कोट को तौडने के लिए जे.सी.बी. मशनी लेकर आये। उन्हौने आनन फानन में वादी की भूमि की पक्की कोट को तोडना शुरू कर दिया। उस समय प्रत्यक्षदर्शी की जानकारी पर वादी ने अपने लड़के डेविड मीणा को मौके पर भेजा। वादी के पुत्र ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होने उसे मारने का प्रयास किया जिससे वादी का लड़का जान बचाकर वहां से भाग

गया। वादी ने दिनांक 12.04.2021 को पुलिस थाना सुसनेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उनके सहयोगी के विरुद्ध लिखित में रिपोर्ट भी की। वादकारण दिनांक 12.04.2021 को उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उनके सहयोगी इकट्ठा होकर आये और वादी की पक्की कोट को तोड़ दिया और वादी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा हुए।

अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या एक विरुद्ध इस आशय की शाश्वत निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वह वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे, भूमि की बाड़ कोट को नहीं तोड़े, भूमि में अवैध तौर पर जोतने का प्रयास नहीं करे, वादी की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचावे तथा वादी की अनुपस्थिति में वादी फसल को काटकर नहीं ले जावे, भूमि अपने मवेशी जबरन नहीं घुसावे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखलअंदाजी नहीं करे, वादी उपयोग उपभोग में विघ्न एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे। न तो उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने एजेन्ट, रिश्तेदार, परिवारवालो, सहयोगी आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के जवाब अवसर बन्द किये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से विद्ववान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों को विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया। पत्रावली के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित राजस्व जमाबंन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम फीला प. म. फीला के खाता संख्या नई 454 पुरानी 447 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 10 अनुसार —

"जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया — जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे, नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनायेगा या वाद

के संबंध मे ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सु... जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जायेगी।"

अतः प्रतिवादी के उपस्थित नही होने एवं जवाब हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम फीला पटवार हल्का फीला तहसील कुराबड की आराजी संख्या 3221 / 3039 एकबा 1.5000 भूमि में प्रतिवादी संख्या एक से तीन के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, एजेन्टों इत्यादि से ही करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

04/09/23

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा — उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इकतरफाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकद्मा 72/21 सन 2021 सीगह वाद श्री भगवानलाल पिता भेरा जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर बनाम (1) श्री रोडीलाल उर्फ रोडा पिता हामा जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हावल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (2) श्री धन्ना पिता कालू जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हावल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (3) श्री वरदा पिता चौखा जी मीणा आयु वयस्क निवासी उपली हावल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम फीला पटवार हल्का फीला तहसील कुराबड की आराजी संख्या 3221/3039 रकबा 1.5000 भूमि में प्रतिवादी संख्या एक से तीन के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें।

और इस वाद के खर्चे लेखे .... रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख .... माह .... सन् ....को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

04/01/22

हस्ताक्षर न्यायाधीश..............................

पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		